पुलिया से गिरा बाइक सवार, हुई मौत

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाई गई थी पुलिया

नवभारत न्यूज

अजयगढ़/पन्ना 13 फरवरी। 11 जुलाई 2025 को वर्षाकाल में अधिक वर्षा के दौरान अजयगढ़ से बरियारपुर कुर्मियान गांव को जोड़ने वाली सड़क में पडने वाली एक पुलिया बह गई थी। भ्रष्टाचार से बनी यह पुलिया बह गई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी लेकिन इस पुलिया को बहे हुए 6 महीने से अधिक हो गए हैं और अब यह मौत की पुलिया बन चुकी है।

यहां आधा दर्जन से अधिक हादसे हो चुके हैं ग्रामीणों ने बताया कि लोग गिरते हैं लेकिन बच चुके थे। हल्की-फुल्की चोटें आई और वह अपने घर को चले गए। लेकिन कल रात जब खमरिया गांव का निवासी मिट्ठू लाल पाल अपने दुधारू जानवर के लिए दवाई लेने के लिए इस गांव की ओर जा रहा था, तब उसे पता नहीं था कि यह उसका अंतिम दिन होगा। वह इस टूटी पुलिया से अपने भतीजे के साथ कूद गया और पानी भरे गड्ढे में गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सन 2021 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित इस सड़क मार्ग में पड़ने वाली इस पुलिया के टूट जाने के बाद आज तक यहां स्थाई बेरीकेटिंग तक नहीं की गई। जिसके कारण यह बड़ी दुर्घटना हुई। ग्रामीणों ने बताया कि इसके पहले भी यहां एक कार कूदते कूदते बची थी। ग्रामीणों ने बताया की वैकल्पिक रूप से निकलने के लिए जो कच्चा रास्ता है उसमे मात्र एक बार मिटटी डलवा कर अधिकारी चले गये थे। जिसके बाद यह मिट्टी बह गई और 10 बार से अधिक ग्रामीण अपने स्वयं की मेहनत से इस रास्ते में मिट्टी डालकर अपना आवागमन करते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि इस पुलिया का जो निर्माण हुआ था वह मजबूती के साथ नहीं हुआ और इसी कारण वह पुलिया बह गई। गांव के नौजवान भी पुलिया के ऊपर आये और उन्होंने बताया कि सी एम हेल्पलाइन में दर्जनों शिकायत कर चुके हैं लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। गांव में किसी के घर में यदि कोई शादी ब्याह होता है तो वहां आने जाने वाले लोग कहते परेशान होते हैं और जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें यह पता नहीं होता कि यह पुलिया टूटी हुई है। ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर जाकर इस क्षेत्र के टी आई हरि सिंह ठाकुर ने मौका मुआयना किया और उन्होंने कहा की बेरी केटिंग न होने से यह हादसा हुआ है। इस मामले की जांच की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

कोलाहल अधिनियम के तहत पुलिस ने जब्त किया डीजे

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 फरवरी। पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं म.प्र. शासन द्वारा कोलाहल (ध्वनि प्रदूषण) नियंत्रण संबंधी जारी दिशा-निर्देशों तथा उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेशों के पालन में, साथ ही वर्तमान में संचालित बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को बिना सक्षम अनुमति एवं निर्धारित समय सीमा के बाहर ध्वनि विस्तारक यंत्र/डी.जे. संचालन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में कोतवाली थाना टीआई रोहित मिश्रा द्वारा दिनांक 12 फरवरी को लवकुश मैरिज गार्डन के पास, आम रोड किशोरगंज मोहल्ला पन्ना क्षेत्र में आरोपी मुलायम सिंह सिसोदिया पिता किलेदार सिसोदिया, उम्र 25 वर्ष, निवासी चाँदा थाना देवेन्द्रनगर जिला पन्ना द्वारा पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 35 जेडसी 7405 में अवैध रूप से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अत्यधिक ध्वनि स्तर पर डी.जे. बजाते हुए तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर विधिवत कार्यवाही की गई। मौके से पुलिस टीम द्वारा डी.जे सामग्री 02 जनरेटर, 02 स्टेबलाइजर, 01 एम्प्लीफायर मशीन,10 पार लाईट, 01 बेस पेटी, 03 बड़े साउंड बॉक्स, उपरोक्त डी.जे. सामग्री की अनुमानित कीमत 65,000/- तथा पिकअप वाहन की अनुमानित कीमत 4,00,000/- है। कुल जप्त मशरूका 4,65,000/- का जप्त किया गया है। समस्त सामग्री एवं वाहन को जप्त कर थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली पन्ना में म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराध क्रमांक 122/26 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

आंगनबाड़ी केंद्र बी सिमरिया में लगाया आरओ

नवभारत न्यूज

सिमरिया/पन्ना 13 फरवरी। नगर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र बी सिमरिया महिला बाल विकास परियोजना से पवई को आज भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिमरिया के सौजन्य से छात्र-छात्राओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से सी एस आर योजना के अंतर्गत आर ओ मशीन प्रदाय की गई।

उक्त मशीन लग जाने से छात्र छात्राओं को शुद्ध जल प्राप्त होगा जिससे बीमारियों से निजात मिलेगी अभय शंकर मिश्रा शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिमरिया ने बताया कि हमारी संस्था जन कल्याणकारी योजनाओ के तहत समय-समय पर इसी प्रकार संस्थानों में अपनी सहभागिता प्रदान करती रहती है। इस अवसर पर अभय शंकर मिश्रा शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिमरिया, शिवम शुक्ला क्षेत्राधिकारी भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिमरिया, श्रीमती प्रीति सोनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिमरिया बी, श्रीमती मनीषा वर्मा सहायिका, कैलाश कुमार गुप्ता शिक्षक आदि उपस्थित रहे।

बाजार में बिक्री हो रहे नकली खराब गैस रेग्युलेटर

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 फरवरी। कोई भी पेट्रोलियम गैस एजेंसी बाजार में अपना रेग्युलेटर बिक्री के लिये नहीं देती बल्कि वह अपने अधिकृत गैस डीलर को ही रेग्युलेटर देती है। किन्तु यहां देखा जा सकता है कि शहर में विभिन्न कंपनियों के नाम पर नकली गैस रेग्युलेटरों की बिक्री धडल्ले से हो रही है।

बावजूद इसके यहां का नापतौल विभाग एवं खाद्य विभाग दोनो मौन बैठे हुये हैं। अभी तक यह पता था कि शहर में कई जगह दुकानों में गैस की अबैध रिफिलिंग की जाती है। किन्तु अब यह भी देखा जा सकता है कि गैस सिलेण्डरों ने उपयोग होने वाले नकली रेग्युलेटरों की भी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इस तरह की छूट कैसे मिल रही है यह जांच व कार्रवाई का विषय है।

इसीलिये होते हैं घरों में विस्फोट और भड़क उठती है आग- प्राय: इस तरह की खबरें भी प्रकाश में आती रहती हैं कि घरेलू गैस सिलेण्डर मे आग भड़कने से विस्फोट हो गया, घरेलू गैस सिलेण्डर में आग लगने से लाखों का सामान राख हो गया। किन्तु इस तरह की घटनाओं के बाद इस बात की जांच नहीं होती कि आखिर आग लगने के कारण क्या थे? किन्तु अब समझ में आ रहा है कि जब से बाजार में नकली गैस रेग्युलेटर बिक्री होने शुरू हुये हैं तब से इस तरह की घटनायें अधिक हो रही हैं।

चूकि उपभोक्ता को बाजार में मिलने वाले रेग्युलेटर एजेंसी की अपेक्षा आधे दाम में मिल जाते हैं। दुकानदार भी जब यह बता देता है कि रेग्युलटर असली है तो सस्ता होने के कारण उपभोता उसे खरीद लेता है। फिर कई लोग तो छोटे सिलेण्डरों का उपयोग करते हैं जिसकी रिफिलिंग बाजार में ही होती है। इसलिये ऐसे सिलेण्डरों में नकली रेग्युलेटर का ही उपयोग होता है। समस्या तो तब पैदा होती है जब इस तरह के नकली रेग्युलेटर अचानक चंद समय में ही खराब हो जाते हैं और आगजनी जैसी घटनायें हो जाती हैं। जनहानि तक हो जाती है। इस तरह से नकली रेग्युलेटर एक तरह से जानलेवा साबित हो रहे हैं। जो किसी अबैध विस्फोटक से कम नहीं कहे जा सकते। फिर भी बाजार में बिक्री हो रहे हैं और कोई कार्रवाई नही होती इसके या माना जाय।

इण्डेन सहित कई कंपनियों के नकली रेग्युलेटरों की हो रही बिक्रीबाजार में ऐसी एक नहीं बल्कि कई दुकानें हैं जहां इण्डेन सहित कई कंपनियों के नाम पर गैस रेग्युलेटरों की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। ये वही दुकानदार हैं जो गैस चूल्हे की मरमत करते हैं, गैस सिलेण्डर से संबंधित अन्य आईटम बिक्री करते हैं, प्रेशर कुकर से लेकर कई तरह के घरेलू सामान भी बिक्री करते हैं। इसी के साथ वे नकली रेग्युलेटर भी बेंच रहे हैं।

एक अनुमान के अनुसार शहर में ऐसे व्यापारियों की संख्या दो सैकड़ा के आसपास हो सकती है। ऐसे व्यापारियों को मौत का सौदागर कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण प्रतिबंधित रेग्युलेटरों की नकली बिक्री किया जाना है।

बन्दर खोह में होगा 18 पुराणों का संगम

संत चिरइया बाबा का होगा संकल्प पूरा

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 फरवरी। पन्ना मुख्यालय से लगभग 22 किलो मीटर दूरी, पहाड़ी खेरा मार्ग सारंगपुर आश्रम के समीप बन्दरखोह सरकार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत श्री चिरइया बाबा जी के संकल्प सार्वजनिक 18 पुराणों की बैठक 18 ब्राह्मणों द्वारा वेद विदित दिव्य श्री रामकथा का आयोजन होगा।

कथा का शुभारंभ 19 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 18 पुराण पाठ सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होंगे। श्री रामकथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। विशाल भंडारा 28 फरवरी, शनिवार को आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन बंदरखोह (सारंग), बागे गंगा उद्गम स्थली में होगा। कथा व्यास श्री आनंद जी महाराज, अयोध्या धाम होंगे। अध्यक्ष श्री 108 श्री पंचमुखी हनुमान जी बंदरखोह सरकार और संरक्षक, सेवक संत श्री चिरईया बाबाजी हैं।

एंबुलेंस से 10 पेटी अवैध शराब सहित 3 आरोपियों गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 फरवरी। पन्ना जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन में पन्ना पुलिस द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी तारतम्य मे थाना प्रभारी गुनौर निरीक्षक माधवी अग्निहोत्री के नेतृत्व में गुनौर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये 03 आरोपियो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 पेटी(100लीटर) अवैध देशी शराब एवं परिवहन मे प्रयुक्त एम्बुलेंस वाहन जप्त किया गया है। हासिल जानकारी के अनुसार दिनांक 12-13 फरवरी की रात्रि को थाना प्रभारी गुनौर निरी. माधवी अग्निहोत्री को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक एम्बुलेंस वाहन से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा मुखविर के बताये अनुसार एम्बुलेंस वाहन महेबा अमानगंज तरफसे आता दिखा जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर रोका गया। वाहन की तलाशी लेने पर

एम्बुलेंस वाहन क्रमांक सीजी 04 एनएस 7479 से कुल 10 पेटी मे करीबन 120 लीटर देशी मदिरा मसाला शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 60 हजार है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी एम्बुलेंस ड्राइवर सहित 03 आरोपियों लोकेन्द्र लोधी पिता नरेन्द्र लोधी निवासी सीलघाट, कुम्हारी, दमोह, विधा प्रसाद दाहायत पिता जीवनलाल दाहायत निवासी कुड़ई पटेरा, दमोह, अभिषेक राजपूत पिता साहब सिंह राजपूत निवासी रनेह, दमोह को गिरफ्तार किया गया जिनके विरुद्ध थाना गुनौर में अपराध क्रमांक 40/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई है तथा आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया।

गुनौर के परीक्षा केन्द्रों में शांतिपूर्ण ढंग से चल रही बोर्ड परीक्षा

गुनौर/पन्ना 13 फरवरी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के मार्गदर्शन में हायर सेकेंण्डरी एवं हाई स्कूल की परीक्षाएं प्रारंभ है। जिसमें 10 फरवरी को 12वीं अंग्रेजी का एवं आज 13 फरवरी को भौतिक,अर्थशास्त्र एवं पशुपालन विषय की परीक्षा हो चुकी है। दसवीं की परीक्षा कल 14 फरवरी से प्रारंभ है। संकुल केंद्र गुनौर अंतर्गत दो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं एक सीएमराइज वर्तमान सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुनौर सीएम राइज में 304 छात्र 12वीं के एवं 470 छात्र दसवीं के शामिल हैं सरस्वती विद्यालय में 334 छात्र दसवीं के एवं 388 छात्र 12वीं के शामिल होकर परीक्षा दे रहे हैं। सरस्वती विद्यालय में रामचरन गुप्ता एवं सीएम राइज विद्यालय में राम भगत प्रजापति केंद्राध्यक्ष बनाया गया हैं दोनों केंद्राध्यक्षों द्वारा दी गई जानकारी अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है अभी तक की परीक्षा में कोई नकल प्रकरण नहीं बने हैं एवं ड्यूटी शिक्षकों एवं सहायक केंद्राध्यक्षों से माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशानुसार वचन पत्र भरवाया गया है जिसमें सभी ड्यूटी शिक्षकों एवं सहायक केंद्राध्यक्षों द्वारा वचन पत्र भरकर दिया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उनके कोई भी संबंधीजन परीक्षा में नहीं बैठे हैं। हलांकि सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ शिक्षकों द्वारा अपने निजी हितैषी संबंधियों के बच्चों को चोरी छिपे अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है जिस पर केंद्राध्यक्षों एवं निरीक्षण अधिकारियों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है एवं अनुचित लाभ पहुंचाने वालों पर निगरानी रखकर कार्यवाही करना चाहिए ताकि वास्तविक पढ़ने वाले विद्यार्थी ही विद्यालय,जिला एवं प्रदेश की मेरिट सूची में अपना नाम शामिल कराने में सफल हो सके।

भगवान शिव की कृपा पाने का पर्व महाशिवरात्रि कल

इस दिन हिन्दू सनातनी व्रत उपवास रखकर शिव जी के पूजन अर्चन को विधि पूर्वक करते

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 फरवरी। सनातन परम्परा का यह महापर्व प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान सदाशिव के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक है इस दिन सभी हिन्दू सनातनी व्रत उपवास रखकर शिव जी के पूजन अर्चन को विधि पूर्वक सम्पन्न करते हैं।

हमारे ज्यातिषाचार्य ने बताया कि महाशिवरात्रि का पर्व एक धार्मिक पर्व तो है ही साथ में खगोलीय स्थिति का लाभ उठाकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक आध्यात्मिक अभ्यास है। शीत ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के शुभागमन की मध्य संधि में आने वाला यह पर्व व्रत उपवास संयम नियम के साथ शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रशस्त है। प्रति माह कृष्ण पक्ष में निशीथ व्यापिनी चतुर्दशी को मास शिवरात्रि मनाई जाती है और फाल्गुन कृष्ण पक्ष में निशीथ व्यापिनी चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस दिन किया गया शिव पूजन वर्ष पर्यन्त की गई शिव पूजा के समान फलदायी है इस दिन भगवान महादेव अपनी निराकार सत्ता को छोड़कर लिंग रूप मे प्रकट हुए थे सर्व प्रथम इस दिन शिवलिंग का पूजन ब्रम्हा जी और विष्णु भगवान ने किया था।

रविवार को मनाई जाएगी शिवरात्रि

सर्वश्रेष्ठ पर्व पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए विविध उपचारों से पूजन करने का विधान है। इस वर्ष 15 फरवरी रविवार को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। प्रतिष्ठित शिवलिंग बाणलिंग स्फटिक शिवलिंग पारस शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग पाषाण अथवा पार्थिव शिवलिंग का दूध दही घृत मधु शर्करा पंचामृत गंधोदक तीर्थ जल भस्म आदि से स्नान विविध पत्र पुष्पों से पूजन अर्चन करना चाहिए। वेद मंत्रों से रूद्राभिषेक सहस्त्रावार्चन आदि करना करना महत् पुण्य को देने वाला होता है। शिवालयों में रात्रि जागरण किया जाता है रात्रि के चार पहर का पूजन किया जाता है। भस्म त्रिपुण्ड रूद्राक्ष धारण के साथ विल्व पत्र चढ़ाने का बहुत महत्व है। इस दिन निराश्रित वृद्ध बुजुर्ग असमर्थ जरूरत मंद लोगों की सेवा सहायता करना चाहिए।

अवैध परिवहन करते हुए 32 नग गौवंश कंटेनर सहित जब्त

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 फरवरी। पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों, गौवंश परिवहन एवं पशु क्रूरता के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। उक्त अभियान के अंतर्गत देवेन्द्रनगर पुलिस टीम द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 32 नग गौवंश बरामद किये गये है।

देवेंद्रनगर पुलिस से हासिल जानकारी के अनुसार दिनांक 12-13 फरवरी की रात्रि को थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर उनि. संतोष सिंह यादव को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध कंटेनर ट्रक में गौवंश (बैल एवं बछड़े) को भरकर देवेन्द्रनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमचुई जंगल मार्ग से अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा गढ़ीपडरिया मोड़ के आगे उक्त वाहन के आने का इंतजार किया गया, कुछ समय पश्चात अमचुई जंगल की ओर से एक कंटेनर ट्रक आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर चालक वाहन खड़ा कर अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल की ओर भाग गया, जिसकी तलाश की गई परंतु वह नहीं मिला। पुलिस टीम द्वारा कंटेनर की तलाशी लेने पर अंदर गौवंश को अत्यंत क्रूरता पूर्वक मुँह एवं पैर रस्सी से बाँधकर ठूंस-ठूंसकर भरा गया पाया गया तथा भोजन-पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस ने 32 नग गौवंश एवं परिवहन मे प्रयुक्त कंटेनर ट्रक क्रमांक यूपी 21 ईटी 3643 कीमती लगभग 25,00,000/- का जप्त किया गया है। अज्ञात आरोपियो पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

चार माह में बनने वाली वृंदावन ग्राम योजना की कार्ययोजना 8 माह में भी पूर्ण नहीं

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 फरवरी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिले के चयनित गांवों को माडल बनाने लिये पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये थे। जिसके लिये समयसीमा भी निर्धारित की गई थी। इस योजना का नामकरण मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना रखा गया था।

हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि इस योजना के लिये सरकार कोई अलग से बजट नहीं देगी बल्कि कई शासकीय विभागों की योजनाओं का समन्वय कर एक कार्ययोजना तैयार की जायेगी। उनका क्रियान्वयन किया जायेगा। उसी को वृन्दावन ग्राम का नाम दिया जायेगा। किन्तु इस तरह के प्रयोग से ऐसा या चमत्कार होगा यह तो योजना के क्रियान्वयन होने के बाद ही पता चलेगा। किन्तु फिलहाल इस योजना की कार्ययोजना में कौन से और कितने गांवों का चयन किया गया है, चयन किये जाने की प्राथमिकता क्या रखी गई। यह सब कार्ययोजना को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही पता चलेगा।

15 सितम्बर से 30 नवम्बर तक तैयार की जानी थी कार्ययोजना:- ग्रामीण विकास विभाग से 20 अगस्त 2025 को जारी एक परिपत्र में बताया गया था कि 1 जुलाई 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उसके बाद इस योजना को मूर्त रूप देने के लिये प्रयास चल रहे हैं। जारी परिपत्र में विभाग ने इसके लिचे गांवो का चयन कर वहां के सम्पूर्ण विकास हेतु पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये थे। कहा गया था कि विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रभारी मंत्री एवं विधायकों से परामर्श कर सबसे पहले वृन्दावन गावों का चयन किया जाना था। इसके बाद ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायकों के सहयोग से गांवों में उपलध संसाधनों का चिन्हाकन करना था। संसाधनों का चिन्हांकन मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद के माध्यम से कृषि, उद्यानिकी एवं पशु चिकित्सा विभाग के समन्वयच से किया जाना था। संसाधनों का चिन्हांकन करनेके पश्चात पंच वर्षीय विजन डायूमेन्ट का निर्माण सीईओ जिला पंचायत की निगरानी में किया जाना था। जहां इसके लिये एनजीओ, कंसल्टेन्ट का सहयोग लिया जाना था। इसके साथ ही विजन डायूमेन्ट तैयार करते समय स्थानीय विधायक, जनपद व जिला पंचायत के सदस्य, लाईन डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों से चर्चा की जानी थी। जनपदों के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों को सीईओ जिला पंचायत के निर्देशों के अनुसार सहयोग करना था। पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार हो जाने के बाद सभी लाईन डिपार्टमेन्ट जैसे पशुपालन, पीएचई, कृषि, उर्जा, स्कूल शिक्षा, महिला बाल विकास, खाद्य आपूर्ति, वन विभाग, उद्यानिकी विभाग, जल संसाधन के अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की योजनाओं को पांच वर्ष पूर्ण किये जाने के संबंध में सेच्युरेशन प्लान तैयार करना था। जिसकी मासिक समीक्षा संभागीय आयुक्त को एवं पाक्षिक समीक्षा कलेक्टर को करने के निर्देश दिये गये थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश थे कि वे कार्यो का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करते हुये संपूर्ण प्लान का प्रजेन्टेशन 15 दिसम्बर 2025 को जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। इसके बाद स्वीकृत कार्ययोजना के प्राथमिकता क्रमानुसार 16 दिसम्बर 2025 से इस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाना था।

समय सीमा में तैयार नहीं हुई कार्ययोजना

निर्देश जारी निर्धारित समय सीमा में मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना की पंच वर्षीय कार्ययोजना तैयार नहीं हो पाई। यह स्थिति केवल एक जिले की नही बल्कि प्रदेश भर की रही। शायद इसके पीछे कारण था कि कार्ययोजना तैयार करने के लिये व्यय होने वाली राशि की व्यवस्था। लिहाजा दिनांक 6 जनवरी को एक पत्र पुन: जारी हुआ, जिसमें प्रति वृन्दावन ग्राम 1 लाख के मान से सीईओ जिला पंचायतों को विजन डायूमेन्ट तैयार करने के लिये राशि जारी की गई। इसका दूसरा अर्थ यह है कि 30 नवबर 2025 तक मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम की पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार नही हो पाई। इस तरह से योजना नये साल में प्रवेश कर चुकी है। कार्ययोजना तैयार हुई या नहीं, जिले में कितने गावों का चयन किया गया। क्या इसके लिये पिछड़े, अविकसित एवं दूरस्थ क्षेत्रों के गावों का चयन किया गया क्या नहीं? स्थानीय विधायकों ने कहीं ऐसे गांवों का सुझाव तो नही दिया जो पहले से ही कई मामलों में संसाधनों में आगे है? इस तरह के सवाल इसलिये खड़े हो रहे हैं क्योकि अभी तक अंतिम कार्ययोजना का स्वरूप सामने नहीं आया है। एक साल में जब कार्ययोजना तो क्रियान्वयन में कितना? यहां सवाल यह भी है कि जिस योजना के संबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्ययोजना तैयार हो जानी चाहिये। वह करीब आठ महीने बाद भी अभी अधर मे लटकी हुई दिखाई दे रही है।